



भारत में चुनावी सरगर्मी के दौर में सत्ता में आने, सत्ता बचाने और सत्ता छीनने की तेज जहोजहद के बीच दिल्ली उच्च न्यायालय की यह टिप्पणी सुखद और स्वगतयोग्य है कि लोकतंत्र को अपना काम करने दिया जाए। दरअसल, दिल्ली उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले महीने हुई गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका को खारिज कर दिया है कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली के उप-राज्यपाल को किसी तरह की सलाह देने से भी मना कर दिया है कि केजरीवाल के खिलाफ दायर की गई इन याचिकाओं की दलील है कि अदालत दिल्ली के उप-राज्यपाल को निर्देशित करे और मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए। वास्तव में, पद न छोड़ने या पद से हटाने की राजनीति कर्तव्य अदालती विषय नहीं है। किसी भी नेता को किसी पद से हटाने की अपनी स्थापित परंपराएँ हैं, उन परंपराओं में अदालती हस्तक्षेप से न्यायपालिका और विधायिका के बीच विवाद की स्थिति बन सकती है। अतः अदालत के रुख की प्रशंसा होनी चाहिए और जो लोग केजरीवाल को हटाने के पक्ष में हैं, उन्हें जिम्मेदार राजनीतिक आकांक्षा पर दबाव बनाना चाहिए। नैतिकता का सवाल अलग-अलग ढंग से किसी नेता को परेशान करता है और नेता अलग-अलग ढंग से इस सवाल का जवाब देते हैं। नैतिकता का प्रश्न केवल नेताओं को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को भी परेशान करता है। अब के दौर में जो चलन है, उसके अनुसार, राजनीतिक पार्टियां अपने मतदाताओं के मानस को समझकर ही फैसला लेती हैं। आम आदमी पार्टी में भी चुने हुए सभी विधायक यदि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाए रखने के पक्ष में हैं, तो उन्हें ऐसा करने का हक है। उन्होंने निश्चित ही इस बड़े फैसले के लाभ-हानि पर विचार किया होगा। ऐसे में, उच्च न्यायालय ने उचित ही इशारा किया है कि 'उप-राज्यपाल को हमारे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। हम उन्हें सलाह देने वाले कोई नहीं हैं। उन्हें कानून के अनुसार, जो भी करना होगा, वह करेंगे।' कहना न होगा, जिस दश में घार करोड़ से ज्यादा मामले अदालत में लिखित हों, वहां राजनीति को अपने हर झगड़े के निपाटारे के लिए कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए। न्यायालय या न्यायपालिका की अपनी सीमा है और राजनीति से जुड़ी नैतिकता की दुहाई देते हुए न्यायालय पहुंचने की परिपाठी हमारी समग्र व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। एक सुखद पहलू है कि इस देश में नैतिकता के सवाल पर पहले अनेक राज्य सरकारें बर्खास्त हुई हैं, पर इधर सरकारों की बर्खास्ती के प्रति केंद्र सरकार में संवेदना बढ़ी है, तो यह लोकतंत्र की परिपक्षता का भी एक प्रमाण है। सरकारों को मज़ी से नहीं, बल्कि सविधान से प्रेरित होना चाहिए। ध्यान रहे कि अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के सिलसिले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वह अपनी लड़ाई अदालत और अवाम के बीच बड़ी मुख्तरा से लड़ रहे हैं। उनके पक्ष में ऐसे नेताओं की बड़ी सख्ती है, जो मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गलत मानते हैं। अदालत भी पहले संकेत कर चुकी है कि अभियोजन चल रहा है और आरोपी को जमानत पर छोड़ा भी जा सकता है। इस मामले के पारक्षेप में समय लग सकता है, फिर भी आगर कुछ लोग इस मोर्चे पर जल्दी मचाना चाहते हैं, तो उनके पास किसी को पद से हटाने के लिए अकाट्य तरक होने चाहिए।

आज का राशीफल

**मेष** पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आपके वर्चस्व तथा प्रभाव में बढ़ि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यवहार में संतुलन बनाकर रखें। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।

**वृषभ** जीवन साथी का सहयोग व सनिध्य मिलेगा। रुके हुए कार्य सम्पन्न होंगे। शक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे।

**मिथुन** प्रतिवर्षीय परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। अर्थात् लाभ होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में रुक्वाटों का सामना करना पड़ेगा।

---

**कर्क** परिवारिक जनों के मध्य सखद समाचार मिलेगा। रोजी

**सिंह** व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाणी की सौन्धता से रुके हुए कार्य सम्पादित होंगे।

**कन्या** जीवन साथी का सहयोग व सनिध्य मिलेगा। आय के ए न स्त्रोत बनें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।

तुला व्यय में संतुलन बनाकर रखें। फिजूलखची पर नियंत्रण रखें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है।

**वृत्तिक** आय और व्यय में सुलगन बनाकर रख। व्यावसायक दिशा में किया गया प्रयोग सफल होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में साधारणी रखें। विशेषियों का पराभव होगा। वाहन प्रयोग में साधारणी अपेक्षित है।

**धन** परिचारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में उत्तम होगी। मासों-जन के अवसर पाए होगे। किया गया

**मकर** राजनैतिक दिशा में किए गए प्रव्यास फलीभूत होंगे।

**कम्भ** बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। टकराव की व्यावसायक व पारावारक समस्याएँ रहेंगी। आधुनिक सकट से गुजरना होगा। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलायेगी।

**सीन** स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन आगमन होगा। कुदुम्बजनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशास्तन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। कार्यक्षेत्र में रुक्खवटों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा देशास्तन

**नाने** की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। भारी व्यय का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे।

## विचारमंथन

(लेखक- सनत जैन )

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सरकारों द्वारा नहीं होता है, यह समय-समय पर यह देखने को मिलता है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिकाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जिसके कारण अब न्यायपालिका का गुस्सा भी अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान देखने लगा है। कई वर्षों के बाद न्यायपालिका के न्याय की आस लगाए याचिकाकर्ताओं को जब न्याय मिलता है। सरकार जब उसका निर्णय पालन नहीं करती है, तो अवमानना याचिका लेकर फिर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ता पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि ने कई महीनों तक नहीं किया था। कई महीनों तक यह मामला चलता रहा। सुप्रीम कोर्ट बार-बार आदेश करती रही। लेकिन बाबा ने जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन

प्रिया नवन

सेखक- सनत जैन )

का पालन पर्य पर यह कम कोर्ट में बढ़ती ही का गुस्सा देखने लगा की आस है। सरकार अवमनना सुप्रीम कोर्ट आदेशों का लिने के लिए कई यह मामला उत्तरी रही। का पालन नहीं किया। तब सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अखिलयाकरना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने वे आदेश दिए। बाबा और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। उहोंने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने माफी स्वीकार नहीं की अवमनना याचिका पर कार्यवाही जारी रखी। बाबा रामदेव और पतंजलि को जो नोटिस जारी किए गए थे उनका जवाब देने के लिए सुप्रीमकोर्ट द्वारा कहा गया।

कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में देखने को मिला है। जर्सिस रोहित आर्य और जर्सिस राजेंद्र कुमार की गवालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को स्वर्ण रेखा नदी की फेसिंग कराने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ रुपए आवंटित करने के सरकार को आदेश दिए। हाईकोर्ट के कई आदेश वे बाद भी सरकार नदी की फेसिंग के लिए 2 करोड़ रुपए

नाराजी जताते हुए कहा, मध्य प्रदेश  
2 करोड़ रुपए नहीं है। ऐसी  
आपातकाल लगा दें? सरकार कर  
खर्च कर रही है। हजारों करोड़ों रुपए  
है। जनता के जरूरी काम के लिए  
के बाद भी सरकार के पास 2 लाख  
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह भी वापस  
और नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपए  
हैं। आम जनता की मूलभूत सुविधाएँ  
के पास पैसा नहीं है। हाईकोर्ट ने यह  
लगता है गवालियर सरकार की प्रश्न  
अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट  
होगी। हाईकोर्ट के इस रुख को  
पीठ के सामने एक दूसरे की बांगले  
हाईकोर्ट को जवाब नहीं दे पाया।  
पालन कैसे और कितने दिन में करें

सरकार के पास यदि स्थिति में आर्थिक डॉलर रुपए सभाओं में ए सरकार बांट रही हाईकोर्ट के आदेश रोड रुपए नहीं है। इसी चौराहे के सौंदर्य पर खर्च किए जा रहे हैं अमिक्रों के लिए सरकार ने तक कह दिया, कि विभिन्न में नहीं है। हाईकोर्ट में 12 अप्रैल को दखते हुए अधिकारी द्वाकरते रहे। कोई भी हाईकोर्ट आदेश का

अधिकारी नहीं मानते हैं। इसका लेकर नीचे तक होता है। बाबा रामदेव ऊपर भी होता है। जिनके ऊपर नहीं होता है। जो पूजीपति हैं। वह भी हाईकोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि अपने आदेशों का पाएगी, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका नहीं रहेगी। सुप्रीमकोर्ट एवं देश के में हजारों की संख्या में अवमनन लंबित है। आम जनता के मन में अब बूत होती जा रही है, हाईकोर्ट और आदेश को जब सरकार नहीं मान रही न्यायपालिका के ऊपर विश्वास कर लड़ने और लाखों रुपए मुकदमे में रुकावा नहीं है। न्यायपालिका के प्रधारणा बनने लगी है। इस धारणा के दो नियम हैं।



**आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने कहा, आर्थिक आपातकाल...**

नहीं किया। तब सुप्रीम कोर्ट को कड़ा रुख अखिलयार करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और आयुर्वेदाचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए। बाबा और बालकृष्ण सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने माफी स्वीकार नहीं की। अवमानना याचिका पर कार्यवाही जारी रखी। बाबा रामदेव और पतंजलि को जो नोटिस जारी किए गए थे। उनका जवाब देने के लिए सुप्रीमकर्त द्वारा कहा गया।

कुछ इसी तरह का मामला मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट में देखने को मिला है। जरिस्टर्स रोहित आर्य और जरिस्टर्स राजेंद्र कुमार की गवालियर खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को स्वर्ण रेखा नदी की फेसिंग कराने के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार 2 करोड़ रुपए आवंटित करने के सरकार को आदेश दिए। हाईकोर्ट के कई आदेश के बाद भी सरकार नदी की फेसिंग के लिए 2 करोड़ रुपए

जिताते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार के पास यदि ड रुपए नहीं है। ऐसी स्थिति में आर्थिक लगा दें? सरकार करोड़ों रुपए सभाओं में रही है। हजारों करोड़ों रुपए सरकार बांट रही ता के जरूरी काम के लिए हाईकोर्ट के आदेश भी सरकार के पास 2 करोड़ रुपए नहीं है। की खंडपीठ ने यह भी कहा, चौराहे के सौदर्य नीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार पैसा नहीं है। हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया, कि ग्वालियर सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में 12 अप्रैल को हाईकोर्ट के इस रुख को देखते हुए अधिकारी सामने एक दूसरे की बांगले झांकते रहे। कोई भी को जवाब नहीं दे पाया। हाईकोर्ट आदेश का से और कितने दिन में करेंगे।

— द्वयी नर्सेर और नर्सेरे ने देखेंगे —

धिकारी नहीं मानते हैं। इसका र नीचे तक होता है। बाबा रामदेव पर भी होता है। जिनके ऊपर जो पूजापति हैं। वह भी हाईकोर्ट आदेशों का पालन नहीं करते हैं। अम कोर्ट यदि अपने आदेशों का एगी, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका रहेगी। सुप्रीमकोर्ट एवं देश के उजारों की संख्या में अवमानना चाहत है। आम जनता के मन में अब होती जा रही है, हाईकोर्ट और श को जब सरकार नहीं मान रही है। न्यायपालिका के ऊपर विश्वास करना, और लाखों रुपए मुकदमे में खर्च ललब नहीं है। न्यायपालिका के प्रति गा बनने लगी है। इस धारणा को देखें।











भ्रष्टाचार प्रतियोगिता में

&

भ्रष्टाचार की जानकारी देने

National Rights Group  
Youtube Channel

krantisamay@gmail.com

9879141480

fight against corruption india

भारत में भ्रष्टाचार  
के खिलाफ लड़ाई